फर्द अहकाम

रामप्रसाद बनाम ओमप्रकाश वगै0

र्थना पत्र संख्या:138/2024

न ख्या	दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	07.06.2024	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। तहसीलदार सांगानेर से विवादित आराजीयात की मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने जबाव प्रार्थना पत्र न देकर सीधे बहस हेतु निवेदन किया। बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि खसरा नम्बर 685, 90 प्रार्थी व अन्य सहखातेदारों की कृषि भूमि है जिसका प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एवं खसरा नम्बर 82 व 86 अप्रार्थीगण की कृषि भूमि है जिसका अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण आपस में सीमा लगवा पडौसी है। तहसीलदार सांगानेर द्वारा उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 12.06.2024 को करवाया जा चुका है। सीमाज्ञान के अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य सीमा पर कच्ची मिट्टी की डोल बनी हुई है। अप्रार्थीगण उक्त कच्ची मिट्टी की डोल को ध्वस्त करे पुख्ता पक्का निर्माण करके प्रार्थी की खातेदारी की भूमि पर नाजायज कब्जा/अतिक्रमण करना चाहते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे कि विवादग्रस्त आराजी पर किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण नहीं करें, ना ही किसी प्रकार का कब्जा/ अतिक्रमण करें। दौराने बहस अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र केवल मात्र अप्रार्थीगण को हैरान परेशान करने के मकसद से पेश किया गया है। मिन अप्रार्थीगण अपने कब्जे काश्त की भूमि पर ही निर्माण कर रहे। उक्त निर्माण को रोकने के लिय ही प्रार्थी द्वारा उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पेश किया है प्रार्थी को किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है कि वे मिन अप्रार्थीगण को पाबन्द करा सकें। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें। बहस उभयपक्ष अधिवक्ता व पत्रावली का मय दस्तावेज व तहसीलदार सांगानेर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया अवलोकन करने पर हमने पाया कि उभयपक्षकारान के मध्य विवादित आराजीयात की सीमाओं का विवाद है। अतः उक्त विवादित आराजी की पत्थरगढी होने तक उभयपक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाके ग्राम गंवाड [illegible] गोकुलपुरा, तहसील सांगानेर स्थित खसरा नम्बर 685 [illegible] 86 की मौके की यथास्थित बनाये रखे। किसी प्रकार का कच्चा [illegible] निर्माण कब्जा, अतिक्रमण नहीं करें। साथ [illegible] पाबन्द किया जाता है कि वे अपनी–अपनी भूमि की पत्थरगढी [illegible]ाने हेतु तहसीलदार सांगानेर को सीमाज्ञान हेतु नियमानुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 14:58:48 IST
Reason: SelfAttested